न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारीः– हेमराज गुर्जर RAS

प्रकरण संख्याः–121/2022 दायर दिनांकः–17.06.2022

जीसीएमएस नं0 2022/315

1. मानसिंह पुत्र किशनसिंह उम्र 73 साल जाति जाट निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली राज0
2. बनैसिंह पुत्र किशनसिंह उम्र 65 साल जाति जाट निवासी खेडा जमालपुर तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली

——————सायलान–2

बनाम

1. तेजसिंह जाट पुत्र ज्वालासिंह जाट उम्र 35 साल जाति जाट निवासी खेडा जमालपुर तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली
2. विष्णुदयाल जाट पुत्र ज्वालासिंह उम्र 32 साल जाति जाट निवासी खेडा जमालपुर तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली
3. ज्वालासिंह पुत्र गिर्राज उम्र 65 साल जाति जाट निवासी खेडा जमालपुर तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली

——————गैरसायलान–4

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित–1. श्री संजय कुमार शर्मा अधिवक्ता सायल

2. गैरसायलान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांकः–

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नं0 376/2 चाही–3 रकवा 0.05 है0 वाके ग्राम खेडा पटवार हल्का खेडा तहसील हिण्डोनसिटी सायलान के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि है।

सायलान की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नं0 376/2 के किसी भी भाग से गैरसायलान का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। गैरसायलान लठैत तथा उद्दण्ड प्रकृति के व्यक्ति है। इन गैरसायलान ने बिलाइस्तहकाक तथा बिला मर्जी सायलान की कृषि भूमि खसरा 376/2 में दिनों 15.06.22 से पत्थर डालकर दासेबंदी कर पुख्ता निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया है। तथा कृषि भूमि को अकृषि वाणिज्यिक कार्य में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। तथा कृषि भूमि में गडढा खोदकर बजरी, पत्थर वगै0 डालकर वेस्ट डेमेज करना प्रारम्भ कर दियश है। चुनाचे सायलान ने दिनांक 15.06.22 को गैरसायलान से सायलान की

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:06 IST
Reason: SelfAttested

कृषि भूमि मे निर्माण करने से मना किया तो गैरसायलान नाराज हो गये। तथा सायलान को ऐलानिया धमकी दी कि हम खसरा नं0 376/2 चाही भूमि में वाणिज्यिक परपज हेतु दुकान बनाकर पुख्ता निर्माण करेंगे। तुम सायलान को खसरा नं0 376/2 से बेदखल करेंगे। इस प्रकार गैरसायलान अपने नापाक इरादों मं कामयाब हो गये तो सायलान के हक हकूकों पर विपरित प्रभाव पडेगा। हक तलफी होगी। सायलान अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि से महरूम हो जावेंगे। गैरसायलान लगातार रूप से सायलान की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि में पुख्ता निर्माण कर रहे हैं। मना करने से नहीं मानते हैं। इसलिये दावा तथा प्रार्थना पत्र हाजा बावत् स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान उदायर करना लाजिम आया। उक्त परिस्थितियो में प्रथम दृष्टया केश सुविधा का संतुलन तथा अतुल्य क्षति का सिद्धांत सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिये गैरसायलान को टी0 आई आदेश से पाबंद करना निहायत जरूरी है। यदि गैरसायलान को टी0 आई से पावंद नहीं किया गया तो गैरसायलान सायलान की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि में निर्माण कर लेंगे। जिससे सायलान को अपूर्त हानि होगी जिसकी पूर्ति इन टर्मस ऑफ मनी भी पूर्ण नही हो जायेगी।

अतः प्रार्थना पत्र ट0 आई पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र टी0 आई स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को दौराने दावा जरिये टी0 आई पाबंद किया जावे कि गैरसायलान ना तो स्वयं और ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से कृषि भूमि आराजी खसरा नं0 376/2 रकवा 0.05 है0 चाही–3 वाके ग्राम खेडा जमालपुर तहसील हिण्डौन में कोई पुख्ता दुकानात का निर्माण ना करे कृषि भूमि को अकृषि कार्य में परिवर्तित ना करे राजस्व रिकार्ड तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर गैरसायलान 1 ता 3 के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 04.10.2024 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 334 वाके [illegible] तहसील हिण्डौन, नक्शा ट्रैस पेश किये है।

सायलान वकील उपस्थित। सायलान वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में सायलान वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 334 वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि उक्त आराजीयात के सायलान ही खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। सायलान की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान ने जरिए वकील खिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 17.06.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा न0 376/2 वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन में रिकॉर्ड एवं मौका की यथारिथति ताफैसला दावा तक बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:06 IST
Reason: SelfAttested